Dr. S. S. Pandey

5वीं एवं 6ठीं अनुसूची

भूमिका

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय जनजातियां एक कमजोर समुदाय के रूप में विद्यमान थी...जिनके सशक्तिकरण हेतु कई संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास किए गए.... जिनमें 5वीं एवं 6ठीं अनुसूची का प्रावधान प्रमुख हैं-

5वीं अनुसूची

अनुच्छेद 244(1) में-

अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के विकास एवं इसके प्रशासन हेतु, इस क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करके, उनके लिए विशेष प्रयास का प्रावधान किया गया; जैसे-

1. राज्यपाल को विशेष विधायी अधिकार- अधिसूचना द्वारा तथा विनियम द्वारा जनजातियों की रक्षा एवं विकास हेतु, विधान निर्माण करने का अधिकार
2. अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट देने का प्रावधान
3. 'जनजातीय सलाहकार परिषद' के गठन का प्रावधान

6ठीं अनुसूची

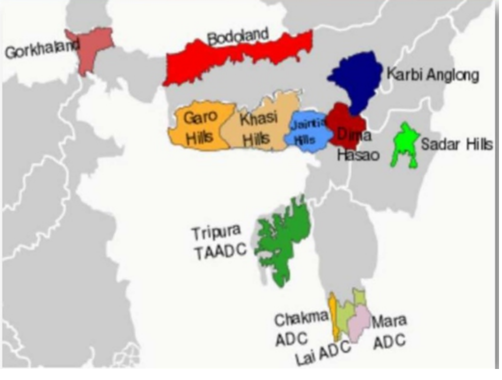

अनुच्छेद 244(2) में-

जनजातीय बहुल राज्यों को 6ठीं अनुसूची में शामिल करके और उनको जनजातीय क्षेत्र घोषित करके, उनके विकास हेतु विशेष प्रयास करने का प्रावधान (असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा), जैसे-

1. 'जनजातीय क्षेत्र' को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों के संदर्भ में पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त
2. अनुसूचित जनजाति को, 'स्वायत्त जिला परिषद्' और 'स्वायत्र क्षेत्र परिषद्' के माध्यम से, स्वव्यवस्था की शक्ति प्राप्त
3. संसद अथवा राज्य विधान मंडल का कानून इन क्षेत्रों में स्वतः लागू नहीं, बल्कि राज्यपाल की अधिसूचना के पश्चात लागू

5वीं एवं 6ठीं अनुसूची का मूल्यांकन एवं सुझाव

उपलब्धियाँ

मुख्यतः 6ठीं अनुसूची के संदर्भ में

कमियाँ

मुख्यतः 5वीं अनुसूची के संदर्भ में)

फलतः अभी भी अपेक्षित लक्ष्य से दूर– क्योंकि–

1. 5वीं अनुसूची में राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियां केवल नाममात्र की और कई मामलों में वह मंत्रीपरिषद्, संबंधित विभाग और राष्ट्रपति पर निर्भर
2. राज्यपाल द्वारा समय पर रिपोर्ट नहीं देना या विभाग द्वारा मशीनी तरीके से रिपोर्ट तैयार करना
3. राज्यपाल द्वारा जनजातीय सलाहकार परिषद से सलाह नहीं लिया जाना और बिना जनजातीय आवश्यकताओं को समझे, जनजातीय विकास का प्रयास करना
4. जनजातीय विकास एवं प्रशासन में क्षेत्रीय जनजातियों की समूचित सहभागीता एवं नियत्रण का अभाव
5. 6ठीं अनुसूची में, 'स्वायत्त जिला परिषद्' एवं 'स्वायत्त क्षेत्र परिषदों' को प्रदत्त अधिकार, समूचित रूप से नहीं दिया जाना या टुकड़ों में दिया जाना
6. 6ठीं अनुसूची के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं करना और इसे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित कर देना

अतः निष्कर्ष है कि– यद्यपि दोनों प्रावधान जनजातीय सशक्तीकरण एवं विकास हेतु महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन इनमें 6ठीं अनुसूची का प्रावधान, अधिक उपयक्त एवं सफल रहा है, जिसने विकास की प्रक्रिया में, जनजातीय सहभागिता को सुनिश्चित करके, विकास में संतुलन को उत्पन्न किया है

Dr. S. S. Pandey
KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

इसको और अधिक सफल बनाने हेतु सुझाव

1. 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के विकास हेतु, जनजातीय सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए
2. 6वीं अनुसूची के प्रावधानों को 'अनुसूचित क्षेत्रों' में लागू किया जाए
3. राज्यपाल को, जनजातीय विकास के लिए स्वतंत्र अधिकार प्रदान किए जाए और मंत्रीपरिषद एवं विभाग पर इनकी निर्भरता को कम किया जाए
4. 'अनुसूचित क्षेत्र' हेतु, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट देने और जनजातीय सलाहकार परिषद से सलाह लेने संबंधी प्रावधानों को, व्यवहार में लागू किया जाए
5. स्वायत्त जिला परिषद एवं स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद के अधिकारों को समूचित रूप से प्रदान किया जाए

अनुच्छेद 244 : A

1969 में 22वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित

Dr. S. S. Pandey

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

परिचय

अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा, कल्याण, विकास तथा उन्नति के उद्देश्य से......

अनुच्छेद 338 में संशोधन द्वारा, 19 फरवरी, 2004 को National Commission for Scheduled Tribes की स्थापना की गयी

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रमुख कार्य

1. अनुसूचित जनजाति के लिए किए गए रक्षोपाय की जाँच-पड़ताल व निगरानी करना
2. अनुसूचित जनजाति हेतु किए गए रक्षोपायों का मूल्यांकन करना
3. अनुसूचित जनजाति से जुड़ी शिकायतों की जाँच करना
4. इस संबंध में उपाय देना एवं साथ ही साथ अन्य निर्धारित कृत्यों का निर्वहन करना
5. NCST नियमावली 2005 के द्वारा, कुछ अन्य कार्य भी शामिल

समीक्षा

निश्चित रूप से.....

इस आयोग के गठन से जनजातीय विकास सुनिश्चित हुआ है, विशेष रूप से वन अधिकार अधिनियम 2006, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम-2013 [LARR Act - 2013],

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 (2018 में संशोधन) आदि एवं जनजातियों के रक्षोपाय के लिए विशेष प्रयास आदि

बावजूद इसके.....

जनजातीय विकास अपेक्षित लक्ष्य से दूर है, और इस हेतु आयोग से जुड़ी खामियां भी उत्तरदायी हैं; जैसे-

- आयोग द्वारा अनुसूचित जाति संवैधानिक सुरक्षा एवं कल्याण उपायों का राज्यवार मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है
- आयोग द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट को विशेष महत्व नहीं दिया जाना और इसको सामान्य रिपोर्ट की तरह निपटाया जाना
- केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्रालय एवं विभिन्न विभागों द्वारा आयोग को अधिकाधिक (समुचित) समर्थन नहीं दिया जाना
- अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु कार्य कर रही विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण आयोग के समक्ष भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना

सुझाव

उपरोक्त कमियों को दूर करके ही, आयोग की कार्यप्रणाली को समुचित स्वरूप दिया जा सकता है और इसको अनुसूचित जनजाति के विकास एवं रक्षोपाय में उपयोगी बनाया जा सकता है (उपरोक्त संदर्भ में अपने से सुझाव लिखे)

Dr. S. S. Pandey

वन एवं जनजातिया
वन अधिकार अधिनियम, 2006

Forest and Tribes
Forest Rights Act, 2006

वन एवं जनजातियों का परंपरागत संबंध

परस्पर सहयोगी

(टोटम के रूप में संरक्षण)

वन अधिनियम 1865

(1878 & 1927 में संशोधन)

वन एवं बंजर भूमि पर राज्य का नियंत्रण स्थापित

1894 की प्रथम वन नीति

वन राज्य के नियंत्रण में और वन से राजस्व प्राप्ति पर बल

स्वतंत्र भारत की 1952 की प्रथम वन नीति

अनुसूचित जनजातियों एवं वनों के मध्य विलगाव और जनजातियाँ कई तरह के अधिकारों से वंचित

वन संरक्षण अधिनियम, 1980

वनों की कटाई को सिमित करना, जैव-विविधा को संरक्षण और वन जीवों की रक्षा

1988 की वन नीति

अनुसूचित जनजातियों एवं वनों के बीच सहजीवी संबंधो की स्थापना पर बल

वन अधिकार अधिनियम, 2006

वन पर वनवासियों को परंपरागत अधिकार

LARR Act, 2013

भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास के संदर्भ में जनजातियों एवं पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करना

20 फरवरी, 2019

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 12 लाख जनजाति एवं वन निवासियों को, जंगल से बाहर निकालने का आदेश

मार्च 2019

केन्द्र सरकार द्वारा वन अधिनियम 1927 में संशोधन का ड्राफ्ट जारी

भारी विरोध..... फलत: 15 नवम्बर 2019 को केन्द्र सरकार द्वारा विधयक का प्रस्ताव वापस-- पुन: 8 अप्रैल 2021 को केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयास प्रारंभ

Dr. S. S. Pandey

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार अधिनियम, 2006

31 दिसम्बर 2007 से लागू

6 दिसम्बर 2012 में संशोधन

उद्देश्य

- वन क्षेत्र के परंपरागत वासियों के अधिकारों को कानूनी मान्यता देना
- वनों की संरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करना
- वन क्षेत्र के निवासियों की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना
- ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण करना

वन क्षेत्र के निवासी

नए कानून के अंतर्गत निम्न शर्तों को पूरा करने वाले वन क्षेत्र के निवासी कहे जाएंगे-

1. वे अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य हैं
2. वे वन या वनभूमि में निवास करने वाले अन्य परंपरागत समुदाय के हैं
3. वे अधिसूचित वन क्षेत्र में निवास कर रहे हैं
4. वे विगत 75 वर्षों से उसी स्थान पर रह रहे हैं

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

अधिनियम में प्रदत्त अधिकार

धारा 3-4

के अंतर्गत मिले अधिकार-

1. स्वामित्व का अधिकार / Title Right
2. उपयोग का अधिकार / Use Right
3. राहत / मुआवजा एवं विकास का अधिकार
   Relief and Development Right
4. वन प्रबंधन का अधिकार
   Forest Management Right

धारा 4(4)

यह अधिकार वंशागत होगा, परन्तु, यह अधिकार संक्रमणीय/अन्य हस्तांतरणीय या अन्तरणीय नहीं होगा तथा जनजातियों को उनके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जा सकेगा (धारा 4(5))

धारा 5

वन अधिकार के धारकों द्वारा-

वन्य जीव, वन एवं जैव-विविधता, जल श्रोत तथा अन्य पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की सुरक्षा का प्रावधान

धारा 6

इन वन अधिकारों को निहित करने के लिए राज्य द्वारा-

1. उपखण्ड स्तर की समिति
2. जिला स्तर की समिति तथा
3. राज्यस्तरीय निगरानी समिति

के गठन का प्रावधान

धारा 7

इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर दण्ड देने का प्रावधान

(1000 रुपया तक)

मूल्यांकन / समीक्षा

Dr. S. S. Pandey

- निश्चित रूप से यह अधिनियम, वन और जनजातियों के मध्य सहजीवी संबंधों को स्वीकार करके, जनजातीय विकास के साथ-साथ वनों के संरक्षण की दिशा में भी एक प्रमुख कदम है

- यह अधिनियम, जनजातीय संस्कृति एवं आर्थिकी (वन आधारित संस्कृति एवं आर्थिकी) को संरक्षित रखते हुए, जनजातियों का विकास करके, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रावधान करता है

- परन्तु हाल के कुछ वर्षों में,
  इस अधिनियम से जुड़े कुछ एसे मुद्दे उभरे हैं, जो इस कानून की सफलता पर कुछ प्रश्न खड़ा करते हैं; जैसे-

1. इस अधिनियम के अंतर्गत जनजातियों के 60% दावों को, सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है

2. संबंधित मंत्रालयों द्वारा, इस अधिनियम को विकास के मार्ग में एक बाधा के रूप में देखा जाता रहा है, फलतः.....

फलतः..... विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए, ग्राम सभा की सहमति संबंधित उपबंध और अन्य प्रावधानों को, नजरअंदाज किया जाता रहा है (जुलाई 2016 में उड़ीशा माईनिंग कॉरपोरेशन पर, इस अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया)

3. ग्राम सभाओं की सहमति से पारित संकल्पों को, संबंधित पक्षों द्वारा अपने निजी स्वार्थों के लिए गलत तरह से भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग हेतु, परिवर्तित किया जा रहा है

4. आदिवासियों को विस्थापित कर, औद्योगिक प्रयोजन के लिए वन भूमि का उपयोग किया जा रहा है

5. जनजातीय क्षेत्रों में उत्खनन कार्य भी, प्रकृति का शोषण है, जिनका नुकसान वन एवं जनजातियों को उठाना पड रहा है

6. आदिवासियों एवं वनों में निवास करने वाले समुदायों के ज्ञान को, वन संरक्षण संबंधित निर्णयों में स्थान नहीं दिया जा रहा है

इसलिए-
इस अधिनियम की सफलता तभी संभव है, जब दृढ़ राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छाशक्ति के साथ इसे लागू किया जाए और जनजातियों को जागरूक करके, इस अधिनियम में प्रदत्त प्रावधानों का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाए

Dr. S. S. Pandey

भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन अधिनियम, 2013 एवं भारतीय जनजातिया

भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन अधिनियम, 2013 एवं भारतीय जनजातिया

- 1894 के अधिनियम का प्रावधान
- 2013 के अधिनियम का प्रावधान
- 2014 के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का प्रावधान

1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम का जनजातियों पर प्रभाव

अधिकांशतः नकारात्मक प्रभाव

2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में जनजातियों हेतु विशेष प्रावधान

- यथासंभव जनजातियों के, भूमि अधिग्रहण को टाला जाय और जरूरत पड़ने पर, ग्राम सभा एवं स्वायत्त परिषद की सहमति अनिवार्य
- ST परिवार को, मुआवजा सामान्य से अधिक तथा मुआवजा की राशि का 1/3 भाग अधिग्रहण से पहले
- ST को विस्थापन क्षेत्र में प्राप्त आरक्षण, PESA, वन अधिकार अधिनियम आदि का लाभ, पुर्नवासित क्षेत्रों में भी प्राप्त
- 100 से अधिक परिवारों के विस्थापन पर, जनजातीय विकास योजना का प्रावधान
- पुर्नस्थापित क्षेत्र में, 25 अवसंरचनात्मक सुख-सुविधाएँ उपलब्ध कराना अनिवार्य

NOTE

जनजातियों के लिए उपरोक्त प्रावधान, विशेष प्रावधान है, जो अन्य सामान्य प्रावधानों के अतिरिक्त है

समीक्षा / मूल्यांकन

निश्चित रूप से.....

नए भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास कानून के उपरोक्त प्रावधानों से, जनजातीय समस्या का समाधान और जनजातीय विकास में मदद मिलेगी, परन्तु.....

परन्तु.....

यह इस बात पर निर्भर करता है कि-

इस कानून के प्रति जनजातीय जागरूकता को उत्पन्न करके, कितनी दृढ़ इच्छाशक्ति से इसे लागू किया जाता है

यहा यह भी उल्लेखनीय है कि-

यह कानून नवीन विकास परियोजनाओं के प्रारंभ करने के मार्ग में बाधक साबित होगा, क्योंकि इससे भूमि अधिग्रहण में अनावश्यक देरी संभव होगी, परन्तु....

परन्तु....

यह भी इस बात पर निर्भर करेगा कि-

इन परियोजनाओं के बारे में कितनी पारदर्शिता एवं कुशल प्रबंधन को प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि.....

क्योंकि.....

हाल के दिनों में विभिन्न परियोजनाओं के विरोध में आंदोलन एवं अनावश्यक देरी का मुख्य कारण कानूनी जटिलता नहीं, बल्कि पारदर्शिता एवं कुशल प्रबंधन का अभाव और इनका नकारात्मक राजनीतिक प्रबंधन रहा है

यह कानून भारत के SC / ST समुदाय के व्यक्ति / व्यक्तियों के विरूद्ध,

किसी गैर SC / ST समुदाय के व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा किये गये अपराधिक गतिविधियों के संदर्भ में

30 जनवरी 1990 से लागू

SC / ST अधिनियम का उद्देश्य

गैर SC / ST समुदाय के व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा, SC / ST समुदाय के व्यक्ति / व्यक्तियों के विरूद्ध होने वाले अपराधों को रोकना

प्रमुख प्रावधान

- शिकायत के साथ FIR दर्ज करने का प्रावधान
- FIR के बाद तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान
- अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं
- गिरफ्तारी के बाद जमानत केवल हाई कोर्ट द्वारा, निचली अदालत द्वारा नहीं

- गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर, पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान
- मामले की जाँच इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी द्वारा करने का प्रावधान
- विशेष न्यायालय तथा विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान
- IPC के तहत निर्धारित सजा से अधिक सजा एवं जुर्माना का प्रावधान

- IPC के तहत अधिकत्तम 10 वर्ष तक सजा के प्रावधान वाले अपराध में, SC / ST Act के तहत 6 माह से लेकर उम्र कैद तक की सजा एवं जुर्माना का प्रावधान
- सरकारी अधिकारी द्वारा अपराध किय जाने पर SC / ST Act में न्यूनतम 1 वर्ष की सजा का प्रावधान

- पीड़ित को पर्याप्त सुविधाएँ एवं कानूनी मदद का प्रावधान
- 85,000 से 8,25,000 रुपय तक, आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास का प्रावधान

Dr. S. S. Pandey

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015

SC / ST (Prevention of Atrocities) Amendment Act 1915

प्रमुख संशोधन

- अपराध की सीमा का विस्तार
- अदालतों को प्रत्यक्ष संज्ञान लेने की शक्ति
- पृथक विशेष अदालत एवं पृथक विशेष लोक अभियोजन की नियुक्ति का प्रावधान

20 March 2018

Kashinath Mahajan

Vs.

State of Maharashtra

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

1. A K Goel   2. U U Lalit

प्रमुख निर्णय एवं दिशा निर्देश

1. अग्रिम जमानत संभव
2. FIR के पूर्व Dy. S P रैंक के अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जाँच जरूरी, 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट तत्पश्चात FIR
3. FIR के बाद तत्काल गिरफ्तारी पर रोक

4. FIR के बाद, गिरफ्तारी के लिए, S S P की और सरकारी कर्मचारी के मामले में, उसके वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति जरूरी
5. इन नियमों का पालन नहीं करने पर पुलिस पर न्यायालय की अवमानना करने के संदर्भ में कारवाई

Dr. S. S. Pandey

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2018

SC / ST (Prevention of Atrocities) Amendment Act 2018

17 अगस्त 2018 को केन्द्र सरकार द्वारा SC / ST Act में पुनः संशोधन और धारा-18 A का स्थापन

1. अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं 18 A (1)
2. FIR के लिए प्रारंभिक जाँच की जरूरत नहीं 18 A (1)(a)
3. गिरफ्तारी के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं 18 A (1)(b)

1 Oct. 2019

Union of India
Vs.
The State of Maharashtra

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

1. Arun Mishra
2. M R Shah
3. B R Gavai

प्रमुख निर्णय एवं दिशा निर्देश

1. FIR के लिए प्रारंभिक जाँच जरूरी नहीं
2. सामान्य नागरिक और सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी के लिए किसी की अनुमति जरूरी नहीं

10 Feb. 2020

Prithvi Raj Chauhan
Vs
Union of India

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

1. Arun Mishra
2. Ravindra Bhatt
3. Vinit Sharan

प्रमुख निर्णय एवं दिशा निर्देश

1. FIR के लिए प्रारंभिक जाँच जरूरी नहीं
2. गिरफ्तारी के लिए किसी की अनुमति जरूरी नहीं
3. कोई अदालत, एसे मामलों पर अग्रिम जमानत दे सकती है जहा प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता हो

5 Nov. 2020

Hitesh Verma
Vs
State of Uttarkhand

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

1. L Nageshwar Rao 2. Hemant Gupta
3. Ajay Rastogi

प्रमुख निर्णय एवं दिशा निर्देश

1. जब तक उत्पीड़न का कोई कार्य, किसी की जाति के कारण सोच विचारकर नहीं किया गया हो, तब तक आरोपी पर SC / ST Act के तहत कारवाई नहीं होगी

2. SC/ST Act के तहत उसे अपराधिक कृत्य माना जायगा, जिसे सार्वजनिक तौर पर अपनाया जाय– न कि घर या चारदिवारी के अंदर जैसे प्राइवेट प्लेस में
(2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "'सार्वजनिक स्थान' वह है जिसे घर के बाहर के सड़कों से देखा जा सकता है")

8 April 2021

Patan Jamal Vali
Vs
State of Andhra Pradesh

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

1. D Y Chandrachud 2. M R Shah

प्रमुख निर्णय एवं दिशा निर्देश

SC / ST Act की धारा 3(2)(5) तभी लगाई जा सकती है, जब यह सामने आया हो कि, अपराध उस व्यक्ति के SC / ST होने के कारण किया गया है

निष्कर्ष

निश्चित रूप से.....
SC / ST Act, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के रक्षोपाय की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है, जिसको समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अनुच्छेद-46 को अनुच्छेद-21 और अनुच्छेद-22 के साथ समायोजित करते हुए, SC / ST को सामाजिक न्याय प्रदान करने का प्रयास किया है

बावजूद इसके.....
हम इस दिशा में अभी भी अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं और SC / ST समुदाय के व्यक्ति / व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध में कमी नहीं आयी है (NCRB की रिपोर्ट)

अतः आवश्यक है कि....
SC/ST Act के बारे में SC/ST समुदाय के लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ इस कानून को दृढ़ इच्छाशक्ति एवं संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए साथ ही, आधुनिक शिक्षा के प्रसार के साथ सामाजिक न्याय से युक्त विकास की गति को भी तीव्र किया जाए, तभी इस कानून की सार्थकता बनी रहेगी

Dr. S. S. Pandey

जनजातीय विकास हेतु योजनागत प्रयास

सर्वप्रथम 1952 में,

जनजातीय विकास हेतु कोई पृथक योजना नहीं और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत जनजातीय विकास पर बल

1955 में,

जनजातीय विकास हेतु 'विशेष बहुउद्देशीय विकास खंड' के रूप में, व्यवस्थित विकास प्रयास प्रारंभ– जिसका नाम तृतीय योजना काल में बदलकर 'जनजातीय विकास खंड' कर दिया गया

सर्वप्रथम 5वीं पंचवर्षीय योजना में,

जनजातीय विकास हेतु, व्यापक एवं सघन कार्यक्रम को लागू किया गया और इसको– जनजातीय उपयोजना / ट्राईबल सब प्लान (TSP) नाम दिया गया

जनजातीय उपयोजना Tribal Sub Plan (TSP)/ Scheduled Tribe Component (STC)

ट्राईबल सब प्लान का उद्देश्य

- आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना
- शोषण के विरूद्ध आदिवासियों को संरक्षण प्रदान करना

TSP हेतु वित्तीय स्रोत

सामान्य राज्य योजनाओं, सामान्य वित्तीय संस्थाओं, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विशिष्ट केन्द्रीय अनुदानों के माध्यम से

- 41 केन्द्रीय मंत्रालयों को, प्रतिवर्ष जनजातीय विकास की कुल स्कीम आवंटन का, 4.3 प्रतिशत से 17.5 प्रतिशत तक जनजातीय उप-योजना निधि अधिदेशित की गयी है

- सभी मंत्रालयों में, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन में, वित्तीय वर्ष 2019-20 में, 51283.53 करोड रुपए की वृद्धि हुई है

जनजातीय विकास संबंधी अन्य प्रमुख कार्यक्रम / योजनाएँ

1. अनुच्छेद 275(A) के तहत्– अनुदान योजना
2. 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों' (PVTG) की विकास योजना

3. अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ कार्यरत, 'स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना'

- 1953-54 में प्रारंभ और संशोधित रूप में 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी
- निम्न श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए अनुदान का प्रावधान–
  1. आवासीय विद्यालय
  2. गैर आवासीय विद्यालय
  3. छात्रावास
  4. सचल औषधालय
  5. 10 विस्तरों वाले अस्पताल
  6. ST के विकास के लिए कोई नवीन परियोजना

4. शिक्षा विकास हेतु प्रमुख योजनाएँ

अनुसूचित जनजाति के शिक्षा विकास हेतु कार्यक्रम / योजनाएँ, जो निम्न है–

- अनुसूचित जनजाति के लड़कों / लड़कियों हेतु 'छात्रावास योजना'
  (छात्रावास निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता)
- आश्रम विद्यालय योजना
  (ST हेतु पर्यावरणीय अनुकूल आवासीय विद्यालय की स्थापना)
- मैट्रिक पूर्व एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, 2012

- अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के उच्चतर शिक्षा हेतु–
  - राष्ट्रीय अध्यतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति योजना
    (दो योजनाओं को मिलकर बनी)
    - ✓ राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्यतावृद्धि योजना
    - ✓ उच्च श्रेणी शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना

Dr. S. S. Pandey

- राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना
- पुस्तक बैंक योजना
- प्रतिभा उन्नयन योजना
- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना
- अम्ब्रेला योजना - 2017

5. जनजातियों के कौशल विकास हेतु योजनाएँ

जनजातियों के कौशल विकास हेतु चलाई जा रही प्रमुख योजनाएँ एवं तंत्र निम्नलिखित हैं-

जनजातियों में व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना

- उद्देश्य- अनुसूचित जनजातियों के स्वरोजगार एवं विभिन्न क्षेत्रों के नौकरी में, उनकी पहुँच को सुनिश्चित करने हेतु, उनमें कौशल का विकास करना

वन धन योजना - 14 अप्रैल 2018

उद्देश्य

जनजातियों के कौशल उन्नयन द्वारा उनके रोजगार एवं स्वरोजगार को सुनिश्चित करना

प्रमुख कार्य

- कौशल उन्नयन एवं क्षमता निर्माण करना तथा प्राथमिक प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन सुविधा स्थापित करना
- 3 वर्ष में 3500 ऐसे केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव और वर्तमान में 1058 केन्द्र कार्यरत

संकल्प से सिद्धि : वन धन मिशन - 2021

हाल ही में प्रारंभ किए गए इस मिशन के साथ ही सात नए ट्राइब्स इंडिया आउटलेट (जगदलपुर, रांची, जमशेदपुर और सारनाथ) तथा वन धन वेबसाइट और सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का वर्चुअली उद्घाटन किया गया

6. जनजातियों के लिए आर्थिक विकास हेतु योजनाएँ

जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाएँ एवं तंत्र निम्नलिखित हैं-

Dr. S. S. Pandey
KGS KHAN GLOBAL STUDIES IAS Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन एक शीर्ष संगठन (सरकारी कंपनी के रूप में स्थापित), जो रियायती दर पर ऋण एवं वित्तीय सहायता देकर, जनजातियों के आर्थिक विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देता है

निगम ST के आर्थिक उत्थान हेतु निम्नलिखित योजनाओं को संचालित करता है-

- मियादी ऋण योजना (प्रति इकाई 50 लाख तक ऋण)
- आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (प्रति महिला 2 लाख तक ऋण)
- लघु ऋण योजना (स्वय सहायता समूह के प्रति सदस्य को 50 हजार तक ऋण)
- आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (प्रति छात्र 10 लाख तक का ऋण)
- जनजातीय वन निवासी सशक्तीकरण स्कीम (1 लाख तक ऋण)

MSP के माध्यम से लघु वन उत्पादों का विपणन एवं लघु वन उत्पादों हेतु मूल्य श्रृंखला के लिए तंत्र योजना / MFP (Miner Forest Product) के लिए MSP योजना - 2014

जनजातियों के लघु वन उत्पादों को, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कर, उनके विपणन में सहयोग प्रदान करना

जनजातीय उत्पाद / उपज के विकास एवं विपणन हेतु संस्थागत समर्थन योजना

उपरोक्त दोनों योजनाएँ (ii) (iii)
ट्राइफेड द्वारा संचालित

TRIFED के बारे में

जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड

(Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India) TRIFED - 1987

- जनजातीय उत्पादों हेतु, विपणन, विकास एवं सेवा प्रदाता के रूप में, कार्य करने वाली संस्था
- यह संपूर्ण देश में 'Tribe India' के नाम से, 137 खुदरा दुकानों, विभिन्न राज्यों में 37 एम्पोरियम तथा 16 फ्रेंचाईजी दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से, जनजातीय उत्पादों का विपणन का कार्य करती है
- यह क्षमता निर्माणकर्ता के रूप में.....
  अनुसूचित जनजाति के कारीगरों एवं लघु वन उत्पादकों का प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन तथा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को भी संचालित करती है

- हाल में ट्राइफेड द्वारा, अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, वालमार्ट तथा अपोलो फार्मेसी के साथ समझौता किया है

Go Tribal Abhiyan
28 June, 2019

उद्देश्य

जनजातीय हस्तशिल्प एवं प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देना

Tribes India द्वारा एमेजोन के तहत् पार्टनरशिप के माध्यम से संचालित

Dr. S. S. Pandey

वनबंधु कल्याण योजना
2014-15

यह एक प्रकार की योजना ही नहीं अपितु एक रणनीति है, जो केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित है

उद्देश्य

- उचित संस्थागत तंत्र के माध्यम से वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए, संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं एक समग्र दृष्टिकोण के जरिए, भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों पर ध्यान केन्द्रीत कर, आदिवासियों का व्यापक विकास करना

- यह योजना एक रणनीतिक प्रक्रिया है, जो यह सुनिश्चित करने की परिकल्पना करती है कि- केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत, वस्तुओं एवं सेवाओं के लक्षित सभी लाभ, समुचित संस्थागत तंत्र के माध्यम से संसाधनों के तालमेल के द्वारा, वास्तव में उन तक पहुँच सके

- इस योजना में–
  केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभागों की, विकास की विभिन्न योजनाओं के समन्वय और राज्य सरकार की परिणाम आधारित योजनाओं पर, ध्यान केन्द्रित करने की परिकल्पना की गयी है

- यह योजना–
  आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों के एक-एक विकास खण्ड में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गयी, फिर उसके बाद इसे व्यापक रूप से वर्तमान में लागू किया गया

- योजना के तहत–
  प्रत्यक ब्लॉक में विभिन्न योजनाओं का विकास करने हेतु, 10 करोड देने की घोषणा की गयी है
- प्रथम चरण में, ब्लॉक की कुल आबादी की तुलना में, जनजातीय आबादी का कम से कम 30% को लक्षित किया जायगा

- अनुच्छेद 275(1) के तहत.....
  राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के जनजातीय बहुल ब्लॉक में (50% से अधिक जनजातीय जनसंख्या), 480 छात्रों की क्षमता वाला, एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की योजना

- इस योजना का उद्देश्य.....
  सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, 6ठीं से 12वीं तक की गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना

- अब तक.....
  620 एकलव्य विद्यालयों को मंजूरी
- 163 जनजातीय बहुल जिलों में, प्रति 5 करोड रुपय लागत वाली खेल सुविधाएँ भी, 2022 तक स्थापित की जाएंगी

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, जनजातीय शिक्षा के विकास हेतु, संचालित विभिन्न योजनाओं को एकीकृत करके चलाई जाने वाली योजना

उद्देश्य

1. अन्य आबादी समूह की तुलना में, अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों के अन्तर को कम करना
2. अनुसूचित जनजाति के बच्चों की, शिक्षा के लिए किए जा रहे वर्तमान प्रयासों की कमियों को दूर करना

3. इसके अंतर्गत पूर्व संचालित, निम्नलिखित योजनाओं को एकीकृत किया गया है; जो हैं-

- आश्रम विद्यालय योजना (आवासी सुविधा)
- छात्रावास स्थापन एवं सुदृढ़ीकरण योजना
- जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना
- दसवीं पूर्व छात्रवृत्ति योजना
- मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

विशिष्टत: असुरक्षित जनजातीय समूह (PVTG)

केन्द्र सरकार ने विभिन्न आधारों पर 18 राज्यों एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 75 विशिष्टत: असुरक्षित जनजातीय समूहों को पहचाना, जिन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता है

विशिष्टत : असुरक्षित जनजातीय समूह घोषित करने का आधार

- कृषि प्रारंभ होने के पूर्व की तकनीक का प्रयोग
- स्थिर या कम होती जनसंख्या
- कम साक्षरता दर
- निर्वाह अर्थव्यवस्था

विशिष्टत : असुरक्षित जनजातीय समूह के लिए योजनाएँ

- य समूह सामान्य जनजातियों के लिए चल रही योजनाओं के साथ-साथ विशिष्ट योजनाओं (Conservation Cum Development Plans) का लाभ उठा रहे हैं; जो इनके स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, पोषण, जीवन निर्वाह, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण से संबंधित है

- जनजातीय उपयोजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग, इनके विकास के लिए किया जा रहा है
- इको टूरिज्म इत्यादि गतिविधियों के समय, इनके विशेषाधिकारों जैसे- आवास, संसाधन इत्यादि के संरक्षण की व्यवस्था
- राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति- जनजातीय छात्रों को प्रदान की जा रही 20 सीटों में 3 सीटें इनके लिए आरक्षित है

जनजातीय विकास कार्यक्रम समीक्षा एवं सुझाव

निश्चित रूप से.....

जनजातीय विकास हेतु किए गए प्रयासों से, भारतीय जनजातियों की स्थिति में सुधार हुआ है,

परन्तु.....

अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं और भारतीय जनजातियाँ, आज भी एक पिछड़ा समुदाय के रूप में परिलक्षित हो रही है

इस हेतु निम्न कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है; जैसे-

1. जनजातियों में गरीबी का निम्नतर स्तर, फलतः वे प्रदत्त योजनाओं के लाभ का समुचित उपयोग करने में सक्षम नहीं
2. जनजातीय आवश्यकताओं को समझे बिना ही, उनके लिए विकास योजनाएँ सुनिश्चित करना
3. विकास योजनाओं के निर्माण में, जनजातियों की सहभागिता में कमी का होना
4. योजनाओं के क्रियान्वयन में दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव होना
5. योजनाओं का राजनीतिकरण होना
6. योजनाओं एवं कार्यक्रमों को विखंडित रूप से चलाना, फलतः इनका परिणामी न हो पाना
7. योजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न एजेंसियों और विभागों के मध्य समन्वयन का अभाव

योजनागत प्रयासों को सफल बनाने हेतु सुझाव

- जनजातीय विकास योजनाओं का निर्माण करते समय, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखा जाय
- जनजातीय विकास योजनाओं के केन्द्रीकृत स्वरूप के स्थान पर, विकेन्द्रीकृत स्वरूप को अपनाया जाय
- जनजातीय विकास से जुड़ी सभी योजनाओं / कार्यक्रमों को एकीकृत किया जाय और इस संदर्भ में, संसाधनों के अनावश्यक दुरूपयोग से बचा जाय
- योजनाओं एवं कार्यक्रमों को दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ, भ्रष्टाचार मुक्त तरिके से लागू किया जाए और योजनाओं को राजनीतिकरण से बचाया जाय
- योजनाओं के लाभ प्राप्ति हेतु, जनजातियों को प्रेरित किया जाय
- योजनाओं के क्रियान्वयन में लगी एजेंसियों के मध्य समन्वयन तथा कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाय
- जनजातियों को योजनाओं के बारे में जागरूक करने हेतु, अभियान चलाया जाय एवं पारदर्शिता पर बल दिया जाय
- योजनाओं के क्रियान्वयन में परिणामी दृष्टिकोण को अपनाया जाय

संभावित प्रश्न

- भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्याओं को दर्शाइए और इसके लिए उत्तरदायी कारणों की चर्चा कीजिए।
- भारत में जनजातीय सशक्तिकरण की दिशा में किए गए संवैधानिक रक्षोपायों की समीक्षा कीजिए।

- भारतीय संविधान का अनु. 244, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत जनजातियों के रक्षोपाय एवं बेहतरी के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा कीजिए।

- भारतीय जनजातियो हेतु 5वीं एवं 6ठी अनुसूची के प्रावधानों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्या आप सहमत हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू करके जनजातीय विकास में निहित असंतुलन को दूर किया जा सकता है?

- भारतीय वन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को बताइए। यह भारतीय जनजातियों को किस प्रकार सशक्त करता है?
- वन एवं जनजातियां सहगामी होती हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए और इस दिशा में सरकारी प्रयासों की समीक्षा कीजिए।

- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 का भारतीय जनजातियों के रक्षोपाय एवं सशक्तिकरण में योगदान की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
- "समकालीन भारत में जनजातीय असंतोष एवं स्वायत्ता की माँग असंतुलित विकास का परीणाम है।" इस कथन की समीक्षा कीजिए। इस तरह की माँगों को सीमित करने हेतु आप क्या सुझाव प्रस्तुत करेंगे?

- 'भारत में जनजातियों में बढ़ रही स्वायत्ता की माँग, असंतुलित विकास का परिणाम है, न कि विविधता का।' इस कथन की समीक्षा कीजिए और इस दिशा में उपयुक्त उपाय सुझाइए।

Indian Society
GS Paper - I
पूछे गए प्रश्न

Dr. S. S. Pandey
KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

- भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट सन्दर्भ के अन्तर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। (150 शब्द में उत्तर दें)

Given the diversities among tribal communities in India, in which specific contexts should they be considered as a single category? (Answer in 150 words)

(UPSC - Indian Society GS Paper – I – 2022)

- स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस. टी.) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए, राज्य द्वारा की गयी दो मुख्य विधिक पहलें क्या हैं? (150 शब्द)

What are the two major legal initiatives by the State since Independence, addressing discrimination against Scheduled Tribes (STs)?

(UPSC - Indian Society GS Paper – I – 2017)

- क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को 'अनुसूचित जनजातियां' कहा जाता है? भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित उनके उत्थापन के लिए प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिए।

Why are the Tribals in India referred to as the Scheduled Tribes? Indicate the major provisions enshrined in the Constitution of India for their Upliftment.

(UPSC - Indian Society GS Paper – I – 2016)

- भारत में जनजातियों के सशक्तिकरण में मूल बाधाओं का परीक्षण कीजिए।

Evaluate the main problems of the empowerment of schedule Tribes in India.

(UP PSC - Indian Society GS Paper – I – 2019)